1.07.2020

Dr. Purnima Singh
Department of political Science
B.A part II paper-III Indian Government and politics. Topic - Fundamental Rights - 3. Lecture - 54

Fundamental Rights - 3

शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 तथा 24
(Right against Exploitation, Article 23 and 24)

1. मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध (Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour) - मानव व्यापार, बिना वेतन के बलपूर्वक कार्य करवाना तथा इस प्रकार के अन्य कार्य बलपूर्वक करवाने की मनाही की गई है।
अपवाद (Exceptions) - सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्य आवश्यक सेवा करने की योजना लागू कर सकता है। नागरिकों से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक सेवा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 की अवहेलना नहीं होगी।

2. कारखानों आदि में बच्चों को लगाने की मनाही (Prohibition of Employment of children in Factories etc) अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खान में या किसी कठिन कार्य वाली नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम निषेध किया किया गया है तथा अपराध माना गया है।

धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28
(Right to Freedom of Religion, Article 25-28)

भारत के संविधान निर्माता भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे, इसलिए अनुच्छेद 25 से 28 के अन्तर्गत भारत में नागरिकों तथा विदेशियों को धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है, जैसे – (1) किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतन्त्रता – सभी व्यक्तियों को समान रूप से किसी धर्म को मानने, ग्रहण करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है, परन्तु वह धर्म सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध न हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऐसे धर्म का प्रचार करने की छूट नहीं है जो शान्ति व्यवस्था को भंग करता है या समाज में साम्प्रदायवाद फैलाता है।

अपवाद (Exception) – अनुच्छेद 25 द्वारा राज्य को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई है –

(i) किसी धार्मिक क्रियाकलाप (Religious Practice) से सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या किसी अन्य असाम्प्रदायिक कार्य को नियमबद्ध या सीमित करने के लिए राज्य कानून बना सकता है।

(ii) राज्य सामाजिक कल्याण तथा सुधार के लिए कानूनों का निर्माण कर सकता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्वरूप वाली हिन्दू धर्म की संस्थाओं को हिन्दुओं की समस्त जातियों तथा वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून का निर्माण कर सकता है। राज्य के ऐसे कानून से हिन्दुओं के धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को अवहेलना नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दुओं में सिक्ख, जैन तथा बौद्ध धर्म को मानने व्यक्ति भी शामिल है।

2. धार्मिक कार्यों का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता (Freedom to maintenance (manage) Religious Affairs) — अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी वर्ग को धार्मिक (charitable) उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने धर्म के कार्यों का प्रबन्ध करने, चल तथा अचल सम्पत्ति प्राप्त करने तथा रखने या उसका प्रबन्ध करने का भी अधिकार है।

3. किसी विशेष धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतन्त्रता (Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular Religion) अनुच्छेद 27 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, जिसका एकत्रित किया धन किसी विशेष धर्म, धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति के लिए व्यय किया जाना हो।

4. कुछ शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतन्त्रता (Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in certain educational institutions) — अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि —

(i) किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

(ii) ऐसी निजी शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य द्वारा स्वीकृत है या राज्य से वित्तीय सहायता

प्राप्त करती हैं, किसी व्यक्ति को उन संस्थाओं में दी जा रही धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छा के अनुसार ही कोई व्यक्ति धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में शामिल हो सकता है, परन्तु यदि व्यक्ति अवयस्क है तो उसके संरक्षक (Guardian) की अनुमति आवश्यक है।

सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30 (Cultural and Educational Rights, Article 29-30)

1. अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा 29-30 (Protection of Interest of minorities) — अनुच्छेद 29 तथा 30 के अन्तर्गत नागरिकों को तथा अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 में यह व्यवस्था की गई है कि —

(i) भारत की भूमि या उसके किसी भाग पर निवास करने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है,

(ii) सरकारी शिक्षण संस्थाएँ या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में किसी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति तथा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

2. शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबन्ध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार (Right of minorities to Establish and Administer Educational institutions.)

अनुच्छेद 30 में यह व्यवस्था की गई है कि —

(i) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने तथा उन का प्रबन्ध करने का अधिकार है।

(ii) शिक्षण संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी शिक्षण संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह संस्था धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबन्धाधीन है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)
(Right to Constitutional Remedies, Article-32)

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 में व्यवस्था की गई है। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 226 के अधीन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए राज्य के उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निम्नलिखित लेख जारी कर सकते हैं—

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (writ to Habeas corpus)
(2) परमादेश लेख (writ of Mandamus)
(3) प्रतिषेध लेख (writ of prohibition)
(4) उत्प्रेषण लेख (writ of certiorari)
(5) अधिकार पृच्छा लेख (writ of Quo-warranto)